ग्रामीण भारत में सामाजिक सुरक्षा

–डॉ. जगदीप सक्सेना

भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 'संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा' (यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी) के विज़न को साकार करने का प्रयास कर रही है। इसके अंतर्गत नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, जो सामाजिक सुरक्षा के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करेगी। इसके तहत ऐसी नीतियां बनायी जाएंगी जो समाज में आर्थिक असमानता को कम से कम करें तथा ज्यादा से ज्यादा लोगों को गरीबी के दलदल से बाहर निकालें।

'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के मूलमंत्र के साथ कार्य करती भारत सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। परंतु भारत जैसे विशाल और व्यापक देश में जितनी सामाजिक विविधताएं हैं, उतनी ही विषमताएं भी चुनौती के रूप में सामने हैं। समाज के अनेक निर्धारित वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति आदि सामान्यतया, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, आर्थिक रूप से दुर्बल हैं। समाज का एक तबका ऐसा भी है जो किसी निर्धारित सूची में शामिल नहीं है, परंतु अत्यंत अल्प आय के कारण 'आर्थिक रूप से कमज़ोर' यानी ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आता है। बड़ी संख्या में छोटे और सीमांत किसान भी अपनी आजीविका के लिए कड़ा संघर्ष करते दिखाई देते हैं। फिर वो वृद्ध हैं, जो अशक्त होकर अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ हो गए हैं। कई घरों में उन्हें अपने परिवार से भी सहारा नहीं मिलता। अनेक स्थानों और समुदायों में महिलाएं भी शोषित और वंचित के रूप में जीवन निर्वाह करने के लिए विवश हैं।

अपंगता और रोग, दो ऐसी अवस्थाएं या आपदाएं हैं, जो व्यक्ति को लंबे समय के लिए या स्थायी रूप से उसकी आजीविका से दूर कर देती हैं। बड़ी संख्या में असंगठित क्षेत्र के कामगार भी अपनी कम और अनिश्चित आय के कारण आर्थिक कमज़ोरी के शिकार रहते हैं। पूर्ण या आंशिक बेरोज़गारी भी व्यक्ति के जीवन निर्वाह को कठिन बनाती है। ये सभी दुर्बल वर्ग समाज के अभिन्न अंग हैं और अपनी कमज़ोर आर्थिक स्थिति के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था के विकास में अपना योगदान भी देते हैं, भले ही वह सूक्ष्म–स्तर पर हो। इसलिए इन्हें आर्थिक सहारा देना, संबल प्रदान करना ना केवल सरकार की संवैधानिक ज़िम्मेदारी है, बल्कि संवेदनशीलता का प्रमाण भी है।

ऐसी सरकारी या शासकीय सहायता को 'सामाजिक सुरक्षा' का नाम दिया गया है, जिसे विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लक्षित वर्ग तक पहुंचाया जाता है। भारत सरकार के अनेक मंत्रालय और विभाग अपने–अपने कार्यक्षेत्र के अनुसार सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं लागू कर रहे हैं। इनमें प्रमुख हैं–ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आदि। सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं के माध्यम से सरकार एक ऐसे समावेशी समाज के विकास के लिए संकल्पबद्ध है, जहां लक्षित वर्ग के सदस्य उत्पादक, सुरक्षित और सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। साथ में उन्हें पर्याप्त सहायता भी प्राप्त हो ताकि उनका विकास भी जारी रहे। इसके लिए शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक विकास से संबंधित योजनाएं लागू की जा रही हैं। जहां आवश्यक है, वहां पुनर्वास कार्यक्रम भी लागू किए जा रहे हैं। जनसंख्या के रूप में लक्षित वर्गों की विशालता इन योजनाओं के क्रियान्वयन की एक बड़ी चुनौती है, उदाहरण के तौर पर सन् 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति के सदस्यों

संवैधानिक उत्तरदायित्व है सामाजिक सुरक्षा

भारत के संविधान के भाग IV में राष्ट्र के लिए कुछ मार्गदर्शी सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। इन्हें न्यायालयों द्वारा अनिवार्य रूप से लागू किए जाने का प्रावधान नहीं है। परंतु ये देश के शासन/प्रशासन के लिए बुनियादी विचार हैं। इसलिए देश के लिए कानून बनाते समय इन्हें ध्यान में रखना/लागू करना राष्ट्र का कर्तव्य है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 38 के अनुसार राष्ट्र के लोगों के कल्याण के लिए कड़ा प्रयास करना चाहिए और अधिकतम संभव प्रभावी रूप से उनकी सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए कार्य करना चाहिए। राष्ट्र को लोगों की आय में असमानता को न्यूनतम स्तर पर लाना चाहिए और उनके स्तर, सुविधाओं तथा अवसरों के बीच भी असमानता को खत्म करने का प्रयास करना चाहिए और ऐसा करना केवल व्यक्तियों के बीच अपेक्षित नहीं है, बल्कि विभिन्न स्थानों या विभिन्न व्यवसायों से जुड़े समूहों के बीच भी होना चाहिए। अनुच्छेद 41 आजीविका कमाने, शिक्षा प्राप्त करने और आपदा के समय सरकारी सहायता प्राप्त करने का अधिकार देता है। राष्ट्र को अपनी आर्थिक क्षमताओं और विकास के अनुसार लोगों के इस अधिकार को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। बेरोज़गारी, वृद्धावस्था, बीमारी और अपंगता जैसी विवशताओं के दौरान सरकारी सहायता देनी चाहिए। इसी क्रम में अनुच्छेद 46 समाज के कमज़ोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों, के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों पर विशेष ध्यान देने का प्रावधान करता है। इसमें इन वंचितों को सामाजिक और अन्य अनेक प्रकार के शोषण से सुरक्षित रखने की बात भी कही गई है। अनुच्छेद 47 के अंतर्गत लोगों के पोषणिक स्तर और जीवन-स्तर में सुधार तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने को राष्ट्र का प्राथमिक कर्तव्य बताया गया है। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेयों और 'ड्रग्स' पर प्रतिबंध लगाने की बात भी कही गई है। इन महत्वपूर्ण प्रावधानों के अलावा संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है और इसके अंतर्गत गठित संबंधित आयोग इन समूहों की सामाजिक सुरक्षा पर निरंतर निगरानी रखते हैं और समय-समय पर उपयुक्त सिफारिश भी करते हैं। देश की विभिन्न नीतियों और विधानों के निर्धारण में इन समूहों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं, पंचायतों और नगर निगमों में इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को प्रोत्साहन देने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में वंचित वर्ग के छात्रों के प्रवेश के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसी तरह रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकारी विभागों और संगठनों में इनके आरक्षण की व्यवस्था है। अपने संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप भारत सरकार सामाजिक सुरक्षा के सभी उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए संकल्पबद्ध है और पूर्ण सामाजिक सुरक्षा की ओर अग्रसर है।

की संख्या 20.14 करोड़ है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों की तादाद 10.36 करोड़ है जिसमें अब तक काफी इज़ाफा हो चुका है।

व्यापक दायरा, गहन उत्तरदायित्व

परिभाषा, संकल्पना और विचार के दृष्टिकोण से देखें तो सामाजिक सुरक्षा मूल रूप से सामाजिक बदलाव और प्रगति का एक प्रभावी माध्यम है। सरकार द्वारा सहायता राशि दिए जाने के कारण कई बार इसे आर्थिक प्रगति में बाधक भी माना जाता है, परंतु विशेषज्ञों के अनुसार वास्तविकता में सामाजिक सुरक्षा योजनाएं आर्थिक प्रगति को गति देती हैं। कारण यह है कि जब वंचित व्यक्तियों को आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हो जाती है, और उन्हें कल की चिंता नहीं होती, तो वे अधिक उत्पादक बनकर योगदान करते हैं। सामाजिक सुरक्षा का प्रभाव समाज में लगभग प्रत्येक स्तर पर पड़ता है। इससे वृद्धों को पेंशन का सहारा मिलता है। कामगारों और उनके परिवारों को लगभग निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्राप्त होती है और किसी सामान्य या औद्योगिक दुर्घटना से उत्पन्न अपंगता के दौरान आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होती है। बच्चों को भी उनके परिवारों को मिलने वाली विशेष सहायता के कारण शिक्षा का लाभ प्राप्त होता है। देखा गया है कि कामगारों को सामाजिक सुरक्षा मिलने से उद्योगों के प्रबंधन और कामगारों के बीच बेहतर संबंध बने रहते हैं और कुल उत्पादकता में भी सुधार होता है। सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बीमा और आर्थिक सहायता के माध्यम से व्यक्ति को चिंतामुक्त रखकर उनका और उनके परिवार का भविष्य संवारने का अवसर प्रदान करती है। इसलिए आज भारत सहित दुनिया के लगभग सभी देशों में गरीबी, बीमारी और बेरोज़गारी की जड़ पर प्रहार करने के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू किया जाता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय-स्तर पर अनेक जनकल्याणकारी संगठनों ने सामाजिक सुरक्षा के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत विकसित किए हैं, जिन पर अनेक देशों की सरकारें गंभीरता से अमल भी करती हैं। जहां तक हमारे देश का प्रश्न है, हमारी पारंपरिक संयुक्त परिवार प्रणाली एक कुशल और प्रभावी सामाजिक/पारिवारिक सुरक्षा प्रदान करती थी। परिवार में कोई एक या दो व्यक्ति किसी विपदा से ग्रस्त होते थे तो पूरा परिवार ढाल बनकर उसकी सुरक्षा करता था, उसके सामने जीवन निर्वाह की कोई चुनौती उत्पन्न नहीं होती थी। फिर भी सातवीं और आठवीं शताब्दी के दौरान कुछ राज्यों में अनाथों, विधवाओं और वृद्धों के लिए शासन की ओर से आर्थिक सुरक्षा का प्रावधान किया गया था। प्राचीन भारत के कुछ प्रमुख शासकीय व प्रबंधन ग्रंथों, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मनुस्मृति तथा शुक्रनीति

में पेंशन और बीमारी, वृद्धावस्था, अपंगता आदि से आर्थिक सुरक्षा देने के नियमों का उल्लेख है। आधुनिक दौर में स्वतंत्रता के तुरंत बाद सामाजिक सुरक्षा पर ध्यान दिया गया। विविध योजनाएं लागू की गईं, जो देश में सामाजिक सुरक्षा के प्रति कड़ी और समर्पित प्रतिबद्धता दर्शाती हैं। विभिन्न लक्षित वर्गों के लिए प्रभावी योजनाएं शुरू की गई हैं और अब देश संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा की ओर अग्रसर है।

इस समय देश में लागू सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं को उनकी प्रकृति के अनुसार मुख्य रूप से तीन वर्गों में बांटा जा सकता है :

1. रोकथाम संबधी योजनाएं : इस प्रकृति की योजनाएं व्यक्ति के जीवन निर्वाह से जुड़े जोखिम को कम करने का काम करती हैं, जैसे स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजनाएं, फसल और पशुधन बीमा योजना, बच्चों का मुफ्त टीकाकरण, पशुओं का टीकाकरण आदि। ऐसा माना जाता है कि इस प्रकार की योजनाएं अंततः व्यक्ति को आर्थिक चोट से बचाती हैं और उसे गरीबी की दशा से उबारने का काम करती हैं। भारत सरकार द्वारा विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना 'आयुष्मान भारत' के नाम से चलाई जा रही है।

2. सहायता व सुरक्षा योजनाएं : सामाजिक सुरक्षा की ये योजनाएं लक्षित वर्ग को आर्थिक सहायता या जीवन के लिए आवश्यक अन्य सुविधाओं की निःशुल्क सुविधा प्रदान करती हैं। ये योजनाएं भारत सरकार या राज्य सरकार या दोनों के अंशदान से वित्तपोषित होती हैं। भारत में इस प्रकार की योजनाओं का दायरा बहुत व्यापक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 एक ऐसी ही योजना है, जो देश की लगभग दो–तिहाई आबादी को बहुत कम दर पर अनाज उपलब्ध कराती है। इससे देश में खाद्य सुरक्षा मज़बूत हुई है। इसी क्रम में, विशेष रूप से ग्रामीण समुदाय में, रोज़गार गारंटी की कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनको ज़मीनी धरातल पर सफल बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के नए अवसर बनाए जा रहे हैं। सरकार का प्रयास लक्षित वर्ग के लिए आजीविका को सुरक्षित बनाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बुनियादी संरचना को मज़बूत बनाया जा रहा है और अधिकतम सुविधाएं निःशुल्क हैं। वृद्धों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की देखरेख के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध हैं। लक्षित वर्ग के लिए निःशुल्क शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना सामाजिक सुरक्षा की ओर एक महत्वपूर्ण और बड़ा कदम है। इसके लिए एक ओर जहां ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की संख्या और गुणवत्ता बढ़ायी जा रही है, वहीं दूसरी ओर लक्षित वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की योजनाएं हैं। 'मिड डे मील' योजना आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के छात्रों को स्कूल की ओर आकर्षित करने और उनकी उपस्थिति बढ़ाने में सफल रही है। महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक सशक्तीकरण की अनेक योजनाओं ने लक्षित वर्ग की महिलाओं के जीवन को नया मोड़ दिया है। इसके अंतर्गत उनकी प्रारंभिक शिक्षा से लेकर विवाह और आजीविका तक के लिए आर्थिक सहायता तथा सुनिश्चित अवसरों का प्रावधान किया गया है। भारत सरकार ने दिव्यांगजनों के कल्याण और उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, रोज़गार के विशेष अवसर, पुनर्वास सुविधाएं आदि। इन योजनाओं ने दिव्यांगजनों का सशक्तीकरण किया है और वे आत्मनिर्भरता की राह पर अग्रसर हैं।

3. विपदा सुरक्षा संबंधी योजनाएं: इसके अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा की उन योजनाओं को स्थान दिया गया है, जो व्यक्ति की विशेष परिस्थितियों या विपदा के समय सहायक होती हैं। इसमें किसान फसल बीमा योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजनाएं, विधवा सहायता योजनाएं, चिकित्सा सहायता योजनाएं, बेरोज़गारी भत्ता और कार्यस्थल पर दुर्घटना से संबंधित मुआवजा योजनाएं आदि शामिल हैं। इनका उद्देश्य कमज़ोर व्यक्ति या परिवार की उस समय आर्थिक सहायता करना है, जब वह अत्यंत कठिन समय से संघर्ष कर रहा होता है।

गांव–गांव कमज़ोरों को सहारा

भारत सरकार की कृषि विकास और कृषक कल्याणकारी नीतियों के कारण गांवों में प्रगति, उन्नति और समृद्धि की लहर चल पड़ी है, परंतु समाज के कुछ वर्गों को सहायता पहुंचाने की आवश्यकता बनी हुई है। इसलिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एक विशेष और व्यापक 'राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम' चलाया जा रहा है, जो देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से पांच उप–योजनाएं जारी हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों के 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धों को 79 वर्ष तक 200

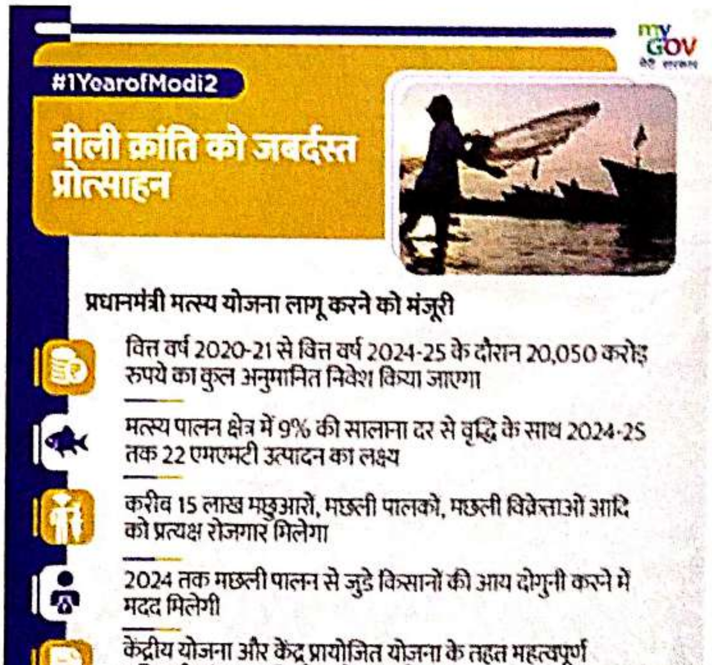

आत्मनिर्भर भारत पैकेज में सामाजिक सुरक्षा

कोविड–19 की वैश्विक महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करने के साथ समाज के अनेक वर्गों को भी आर्थिक मोर्चे पर त्रस्त किया है। इसका सबसे अधिक प्रभाव उन आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों पर पड़ा है, जो पहले ही अपनी आमदनी और आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे थे। भारत सरकार ने इन कमज़ोर वर्गों को सहारा देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के 'आत्मनिर्भर भारत पैकेज' में इनके लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के नाम से 1.70 लाख करोड़ रुपये की राहत का प्रावधान किया गया है। सबसे पहले मुफ्त भोजन की व्यवस्था की गई। अगले तीन महीनों के लिए 80 करोड़ गरीब परिवारों को पांच किलो गेहूं या चावल मुफ्त देने, प्रति परिवार एक किलो दाल और भोजन पकाने के लिए आठ करोड़ परिवारों को तीन महीने तक मुफ्त गैस सिलेंडर भी दिए जाने की घोषणा की गई। गरीब परिवारों के वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को, जिनकी संख्या लगभग तीन करोड़ बैठती है, एक हजार रुपये की एकमुश्त सहायता राशि देने का प्रावधान किया गया है। एक बड़ा कदम उठाते हुए भारत सरकार ने 'मनरेगा' के अंतर्गत मज़दूरी को 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये प्रतिदिन कर दिया है। सरकार द्वारा पहले से चलायी जा रही जनधन योजना के अंतर्गत इसकी 20 करोड़ महिला खाताधारकों को लगातार तीन महीने तक बैंक खाते में 500 रुपये देने की व्यवस्था की गई है। व्यवसायों में काम करने वाले कामगारों को उनके प्रॉविडेंट फंड के माध्यम से आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया। सौ से कम कामगार वाले व्यवसायों में 15,000 रुपये मासिक से कम वेतन पाने वाले सभी कामगारों के पीएफ में उनके मासिक वेतन की 24 प्रतिशत राशि जमा की गई है। साथ ही, ईपीएफ से अग्रिम राशि निकालने के प्रावधानों को भी सरल तथा उदार बनाया गया है। अब महिला स्वयं सहायता समूह बैंक से बिना किसी ज़मानत राशि के 10 लाख की जगह 20 लाख रुपये तक ऋण ले सकेंगे।

लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में मज़दूरों का शहरों से गांवों की ओर पलायन हुआ। उनकी रोज़ी–रोटी छिन गई। ऐसे प्रवासी मज़दूर परिवारों को आश्रयगृहों में मुफ्त भोजन देने की व्यवस्था की गई और जो मज़दूर अपने गांव पहुंच गए उन्हें दो महीने तक मुफ्त राशन देने की व्यवस्था की गई है। अपने घर लौटने पर प्रवासी मज़दूरों के सामने रोज़गार की समस्या भी है। इसे देखते हुए भारत सरकार ने छह राज्यों (मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान) के 116 ज़िलों में 50,000 करोड़ रुपये की लागत से एक विशेष गरीब कल्याण रोज़गार अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री द्वारा इसे 20 जून, 2020 को लागू किया गया और यह अभियान अगले 125 दिनों तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रवासी मज़दूरों को 125 दिनों तक उनके कौशल के अनुरूप रोज़गार दिया जाएगा।

रुपये और उसके बाद 500 रुपये प्रति माह की दर से पेंशन दी जाती है। गरीब परिवार की किसी भी महिला के लिए, जो अपने निर्वाह के लिए पति पर निर्भर हो, अकस्मात् विधवा हो जाना एक बड़ा आघात है। इस अवस्था में 'इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना' के अंतर्गत दी जाने वाली 300 रुपये मासिक की सहायता राशि एक बड़ा संबल प्रदान करती है। यह पेंशन 40 से 79 वर्ष तक की विधवाओं को दी जाती है। गरीब परिवारों के दिव्यांगजन (18–79 वर्ष आयु) 'इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंगता पेंशन योजना' के अंतर्गत 300 रुपये मासिक की पेंशन के हकदार हैं। यदि किसी गरीब परिवार के आजीविका कमाने वाले मुख्य सदस्य की किसी कारण मृत्यु हो जाती है (18–59 वर्ष आयु) तो परिवार को 20,000 रुपये की एकमुश्त सहायता राशि दी जाती है, ताकि वह परिवार अपने पैरों पर खड़ा हो सके। 'अन्नपूर्णा योजना' के अंतर्गत ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह 10 किलोग्राम अनाज मुफ्त दिया जाता है, जो वृद्धावस्था पेंशन योजना के योग्य तो हैं, परंतु उन्हें किसी कारण से पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है। वर्ष 2018–19 में इन योजनाओं पर खर्च के लिए कुल 8419 करोड़ रुपये राज्यों को जारी किए गए, जबकि वर्ष 2019–20 के दौरान इन योजनाओं के लिए 9200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। गरीब परिवारों को सहारा देने वाली ये योजनाएं गांवों में अपना स्पष्ट प्रभाव दिखा रही हैं।

अब बात करते हैं देश का अन्नदाता कहे जाने वाले उन करोड़ों किसानों की जो अनेक जोखिमों के कारण अपनी आजीविका के लिए निरंतर संघर्षरत रहते हैं। सन् 2022 तक किसानों की आमदनी दुगुनी करने के लिए भारत सरकार ने एक व्यापक रोडमैप के अंतर्गत अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं। परंतु किसानों को तुरंत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने सन् 2018 में 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' नाम से एक योजना प्रारंभ की, जिसके अंतर्गत सभी योग्य किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता (2,000 रुपये की तीन किश्त) प्रदान की जाती है। इससे किसानों को खेती से जुड़े कामकाज और खरीद के लिए आर्थिक सहारा मिल जाता है। भारत सरकार ने वृद्ध किसानों के कल्याण के लिए एक प्रभावी पेंशन योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना नामक यह पहल उन छोटे और सीमांत किसानों के लिए है, जिनकी जोत का आकार दो हेक्टेयर तक है। इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष आयु तक के किसान 55 से 200 रुपये मासिक का योगदान करके 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये मासिक की पेंशन के हकदार बन जाते

हैं। किसान के पेंशन अंशदान के बराबर ही सरकार भी अपनी ओर से योगदान करती है। किसान के निधन के उपरांत उसकी पत्नी को 1500 रुपये मासिक की पेंशन दी जाएगी। बड़ी संख्या में छोटे किसान इस योजना के अंतर्गत अपना पंजीकरण करवा रहे हैं। किसानों से संबंधित दोनों सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का क्रियान्वयन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में कामगार असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं, जिससे उन्हें सामाजिक सुरक्षा के शासकीय प्रावधानों का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता है। साथ ही, उनकी आय भी इतनी अधिक नहीं होती कि वे किसी निवेश द्वारा अपना भविष्य सुरक्षित रख सकें। इन कामगारों के लिए इसी वर्ष फरवरी में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना प्रारंभ की गई है, जिससे लगभग 42 करोड़ कामगारों को लाभ मिलेगा। इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष आयु के कामगार 55 से 200 रुपये मासिक का योगदान देकर 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपये मासिक की पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। इसी तर्ज पर **प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना** भी जारी है, जिसका लक्षित वर्ग छोटे दुकानदार और कारोबारी हैं। इसके अंतर्गत डेढ़ करोड़ रुपये से कम का सालाना कारोबार करने वाले तीन करोड़ खुदरा कारोबारियों और दुकानदारों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में हस्तशिल्पियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए दो मुख्य उपाय किए गए हैं। पहली पेंशन योजना उन शिल्पियों के लिए है, जो राज्य या राष्ट्रीय–स्तर पर पुरस्कृत हैं, आयु 60 वर्ष से अधिक है, और वार्षिक आय 50,000 रुपये से कम है। गरीबी की दशा में इन्हें 3500 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाती है। अन्य सभी कारीगरों या हस्तशिल्पियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ मिलता है। लोकप्रिय अटल पेंशन योजना भी मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के कामगारों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर लागू की गई है। इसका लाभ 18 से 40 वर्ष आयु के लोग एक निश्चित मासिक अंशदान के आधार पर उठा सकते हैं। इसके अंतर्गत 60 वर्ष के बाद की मासिक पेंशन की राशि भी लाभार्थी स्वयं तय कर सकते हैं, जिस पर उनके मासिक अंशदान की राशि निर्भर होती है।

समग्र और संपूर्ण आर्थिक सुधार की ओर

सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं से आगे बढ़ते हुए अब देश में श्रमिकों तथा अन्य लक्षित वर्गों के लिए समग्र और संपूर्ण आर्थिक सुधार का प्रयास शुरू किया गया है। असंगठित क्षेत्र के 50 करोड़ से अधिक श्रमिकों के लिए अनेकानेक श्रम कानूनों को एकीकृत करके चार लेबर कोड्स के रूप में वर्गीकृत किया जा रहा है। पहला लेबर कोड वेतन संबंधी विसंगतियों को दूर करके सुधार के उपाय प्रस्तुत करता है। दूसरा लेबर कोड औद्योगिक संबंधों के सुधार पर केंद्रित है ताकि नियोक्ता और कामगारों के बीच उपयुक्त संबंध बने रहें। तीसरा लेबर कोड सामाजिक सुरक्षा और श्रमिक कल्याण से जुड़े पहलुओं को एकीकृत करता है। इसमें श्रमिकों को दिए जाने वाले मुआवजे, ग्रेच्युटी, मातृत्व अवकाश जैसे सामाजिक सुरक्षा के विविध पहलू शामिल किए गए हैं। चौथा लेबर कोड श्रमिकों की व्यावसायिक विपदाओं से सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कार्यकारी दशाओं से संबंधित है। साथ ही, ईपीएफओ और ईएसआईसी की कार्यप्रणाली में सुधार करके इनकी सुविधाओं को अधिक श्रमिक हितैषी तथा कल्याणकारी बनाया गया है। सभी कामगारों को नियुक्ति–पत्र देना और उनकी नियमित स्वास्थ्य जांच जैसे उपायों को भी लागू करने की तैयारी चल रही है।

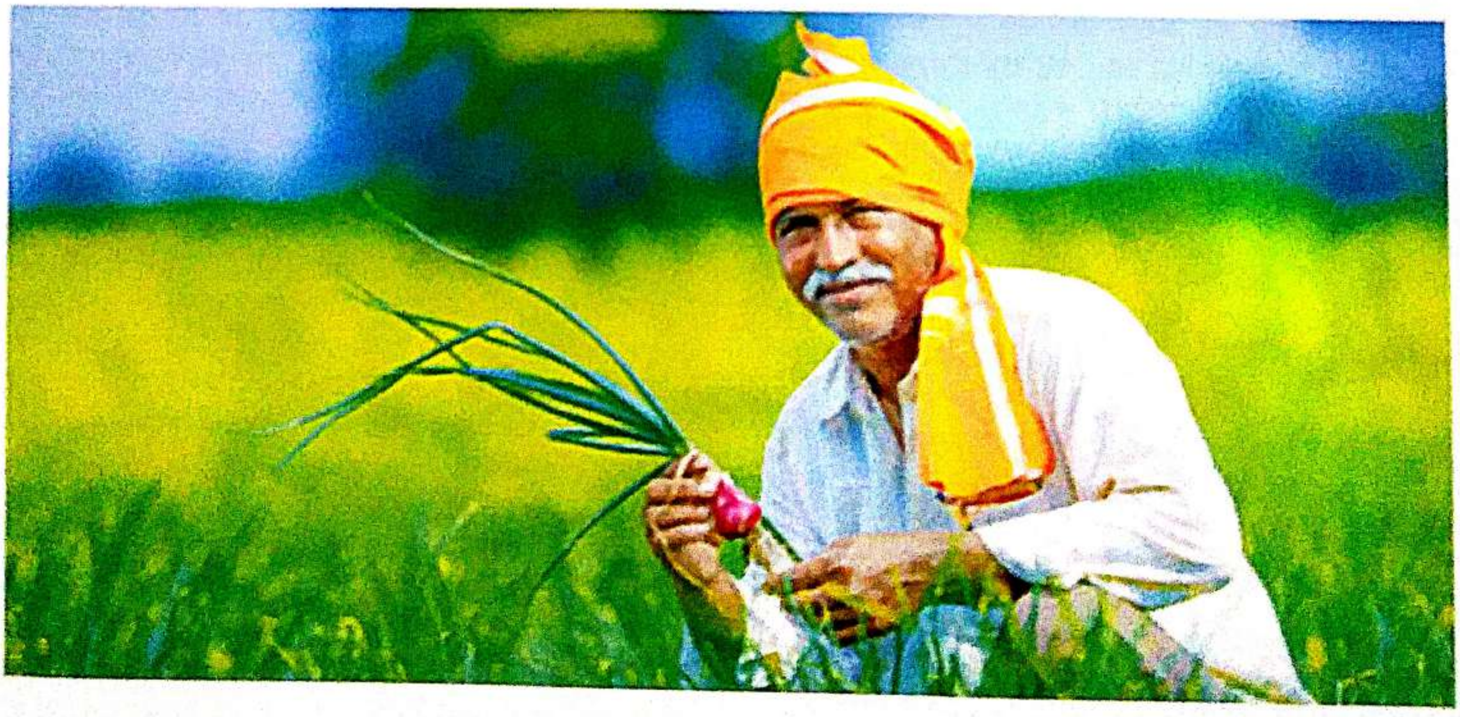

आधी आबादी से पूर्ण सामाजिक सुरक्षा की ओर

सामाजिक सुरक्षा की सभी योजनाओं में आर्थिक कमज़ोरी सबसे प्रमुख आधार है, जो किसी योजना के लाभार्थी की पहचान करता है। इस तरह महिलाएं भी सभी योजनाओं का लाभ उठाने के योग्य हैं। परंतु भारत सरकार ने कुछ महिला विशिष्ट योजनाएं भी लागू की हैं, जो सीधे तौर पर महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण का कार्य करती हैं। साथ ही महिलाओं की बेहतरी के लिए कुछ विशेष नियम–कानून भी बनाए गए हैं या पुराने नियमों में संशोधन किया गया है। इस संदर्भ में वर्तमान सरकार की सबसे महत्त्वपूर्ण पहल रही 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान जिसका मुख्य उद्देश्य आबादी में लड़कियों के निरंतर कम होते लिंग अनुपात को बढ़ाना था। साथ ही बेटियों की शिक्षा सुविधाओं को बेहतर बनाकर उनको सशक्त बनाना भी इसका एक लक्ष्य है। वर्ष 2015 में इसे 100 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 400 ज़िलों में लागू किया गया था, परंतु अब इसका दायरा बढ़कर 640 ज़िलों तक पहुंच गया है। नवीनतम आंकड़े बताते हैं कि आबादी में लड़कियों के जन्म का अनुपात वर्ष 2014–15 के 918 के मुकाबले बढ़कर 931 पर पहुंच गया है। हमारे देश में कई बार महिलाएं शोषण या प्रतिकूल दशाओं का शिकार होकर बेसहारा हो जाती हैं। ऐसी महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा के लिए **'स्वाधार गृह'** नामक एक विशेष योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत महिलाओं को आवास से लेकर खानपान और स्वास्थ्य सुविधाएं तक उपलब्ध करायी जाती हैं, और एक बार पुनः अपने पैरों पर खड़े होने के लिए सशक्त बनाया जाता है। यह योजना आर्थिक पहलू के साथ महिलाओं को भावनात्मक रूप से भी सशक्त बनाती है। **प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना** कमज़ोर वर्ग की गर्भवती महिलाओं को गर्भधारण के दौरान आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। गर्भ के पंजीकरण के उपरांत शिशु के जन्म तक महिला को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता तीन किस्तों में दी जाती है। प्रत्येक वर्ग की कामकाजी महिला को कार्यस्थल पर सुरक्षा, सम्मान और सुविधा देकर भेदभाव मिटाने के लिए अनेक नियम–कानून बनाए गए हैं। अब उन्हें पुरुषों के समान कार्य करने के लिए समान वेतन दिया जाता है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के लिए कड़ा कानून बनाया गया है, जिसके विभिन्न प्रावधानों को कार्यस्थल पर लागू करना अनिवार्य है। वेतन के साथ मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दी गई है। कार्यस्थल पर क्रेच की सुविधा, शिशु केंद्र और स्तनपान अवकाश जैसी सुविधाएं महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा को मज़बूत कर रही हैं।

भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 'संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा' (यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी) के विज़न को साकार करने का प्रयास भी कर रही है। इसके अंतर्गत नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, जो सामाजिक सुरक्षा के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करेगी। इसके तहत ऐसी नीतियां बनायी जाएंगी जो समाज में आर्थिक असमानता को कम से कम करें तथा ज्यादा से ज्यादा लोगों को गरीबी के दलदल से बाहर निकालें। इसके लिए कुल पांच प्राथमिकता के क्षेत्र चुने जाएंगे, जिन पर सरकार विशेष ध्यान देगी। संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा के लक्ष्य को पाने के लिए भारत सरकार के कुछ मंत्रालय एकजुट होकर कार्य करेंगे, जैसे ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण, सामाजिक न्याय और अधिकारिता तथा श्रम मंत्रालय।

भारत में सामाजिक सुरक्षा को मज़बूत बनाने के लिए भारत सरकार को राज्य सरकारों से भी सहयोग प्राप्त हो रहा है। राज्यों ने अपने–अपने स्तर पर सामाजिक सुरक्षा की अनेक योजनाएं लागू की हैं, जिनके सकारात्मक प्रभाव भी सामने आए हैं। भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा सामाजिक सुरक्षा में होने वाले खर्च में भी लगातार वृद्धि की जा रही है। भारत संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा की आदर्श स्थिति की ओर तेज़ी से अग्रसर है।

(लेखक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली में प्रधान संपादक रह चुके हैं।)

ईमेल– jagdeepsaxena@yahoo.com